

Subject - Corporate Accounting

Topic - External Reconstruction

Lecture - 1st

Ques → What is mean by External Reconstruction?
What are the provisions of External Reconstruction under Companies Act?

Ans → Meaning → बाह्य पुर्निर्माण से आशय कंपनी के समापन और उसकी विधि संरचना में पुर्नविनयना से है। बाह्य पुर्निर्माण का अर्थ अन्तर्गत वर्तमान कंपनी का समापन हो जाना है और इसके स्थान पर एक नई कंपनी का निर्माण होता है।

इस प्रकार एक निधमान कंपनी का समापन होता है और एक नई कंपनी निधमान कंपनी की लगभग सभी संपत्तियों और शक्तियों को अधिग्रहीत कर लेती है।

साधारणतया कुछ इकाइयों अथवा धानि पर चल रही कंपनियों को पुर्नजीवित करने के लिए इस प्रकार का पुर्ननिर्माण होता है।

बाह्य पुर्निर्माण के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधान — कंपनी अधिनियम के अनुसार एक हस्तान्तरक कंपनी (Transferor Co.) पूर्णतया ऐच्छिक समापन की स्थिति में अपने संपूर्ण अथवा आंशिक व्यवसाय या संपत्तियों को हस्तान्तरक कंपनी (Transferee Company) को बेच सकती है। उस समय हस्तान्तरक कंपनी के निस्कारक को एक विशेष प्रस्ताव द्वारा या के सामान्य अधिकार अथवा मिमलिरिन्स में से किसी एक विशेष व्यवस्था के संबंध में अधिकार प्रदान किए जाते हैं —

(1) यह हस्तान्तरक कंपनी के पूर्ण अथवा आंशिक व्यवसाय या संपत्तियों के हस्तान्तरण अथवा निष्क्रमण करने पर पूर्ण या आंशिक शक्ति (प्रतिफल) के रूप में Transferor Co. में अंश अथवा ऐसे अन्य हित Transferor कंपनी के सदस्यों में वितरण हेतु प्राप्त कर सकता है अथवा

Company's Share Capital

1. वह Transference Co से मिली अन्य व्यवसाय के लिए अनुमति सह समता है जिसके अनुसार Transference कंपनी के सदस्य Transference Co के अंश लेना ऐसी अना हिस्सा प्राप्त करने के अंगीकृत करना इनकी प्राप्त करने के साथ-साथ उसके लाभों से हिस्सा अंश अना कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है।

उल्लेखनीय है कि इस धारा के अनुसार भी गई कोई निजी या व्यवसाय Transference कंपनी के सदस्यों को पूर्णतया मान्य। यदि Transference Co. का कोई सदस्य, जिसने हस्तांतरण के संबंध में पास किये गये विशेष प्रस्ताव के पक्ष में अपना मतदान नहीं किया था, इस संबंध में निस्वार्थता को लिखित में अपनी ~~असहमति~~ असहमति प्रकट करता है तथा प्रस्ताव पास होने के बिना के साथ फिर के अन्दर अपनी असहमति कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में प्रकट कर देता है तो इस धारा के अनुसार ऐसे सदस्य भी इच्छानुसार कंपनी के निस्वार्थता को निम्नलिखित में से कोई भी एक अधिकार प्राप्त होता है -

- i. भागों वह विशेष प्रस्ताव के निष्पादन संबंधी काम को रोक दें अथवा
- ii. वह ऐसे असहमत सदस्य के हित में इस अधिनियम द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार पारस्परिक समझौते अथवा पंचनिर्गम द्वारा तय किये गये मूल्य परक्रम कर लें।

The End

By Dr. S.K. Sharma, Associate Professor,
Dept. of Commerce,
R.N. College, Pandaul.